भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : **2042**

उत्तर देने की तारीख : 21.03.2022

धर्म आधारित अल्पसंख्यक के प्रति बैंकों द्वारा भेदभाव किया जाना

2042. डॉ. एल. हनुमंतय्या:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री जी.सी. चंद्रशेखर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धर्म से संबंधित वस्त्र पहनने वाले ग्राहकों के लिए आधिकारिक ड्रेस-कोड-नीति की जानकारी है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के उन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की है या करने का इरादा रखती है जिन्होंने एक महिला ग्राहक को पैसे निकालने के लिए अपना हिजाब हटाने के लिए कहा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह घटना धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की श्रेणी में आती है और क्या सरकार इस घटना को उसी नजरिए से देखने और जांच करने का इरादा रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ङ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों के लिए कोई ड्रेस कोड नीति नहीं है। हालांकि, प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित एक घटना की सूचना दी गई है। संबंधित बैंक ने मामले की जांच के बाद पाया कि ग्राहक पैसे निकालने के लिए बैंक की शाखा में गया था। हस्ताक्षर के बेमेल होने के कारण, बैंक कर्मचारी ने ग्राहक से चेहरे के सत्यापन के लिए अनुरोध किया, जो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नियमित सावधानी का एक हिस्सा है। ग्राहक ने लिखित में भी बैंक को बताया है कि उसे बैंक से कोई शिकायत नहीं है और मामला शांत हो गया।

*****